उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक– 2022 काउंसिलिंग सूचना

काउंसिलिंग वेबसाईट https://ubter.admissions.nic.in

शैक्षिक सत्र 2022–23 में निःशुल्क ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेक्निकों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग सूचना

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक– 2022 (जीप– 2022) में रैंक प्राप्त सभी अभ्यर्थी ऑनलाईन काउंसिलिंग में निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं।

निःशुल्क काउंसिलिंग कार्यक्रम

क्र0 सं0	काउंसिलिंग के चरण	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प भरने की तिथि	संस्थान/ब्रांच आवंटन की तिथि	आवंटित संस्थान में रिपोर्ट, अभिलेखों की जॉच एवं प्रवेश की तिथि	अभ्युक्ति
1	प्रथम	दिनांक 20 अगस्त, 2022 से दिनांक 23 अगस्त, 2022	26 अगस्त, 2022	दिनांक 27 अगस्त, 2022 से दिनांक 30 अगस्त, 2022 तक।	जीप– 2022 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं।
2	द्वितीय	दिनांक 03 सितम्बर, 2022 से दिनांक 05 सितम्बर, 2022	09 सितम्बर, 2022	दिनांक 10 सितम्बर, 2022 से दिनांक 13 सितम्बर, 2022 तक।	प्रथम चरण में प्रतिभाग न कर सके अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण में आवंटित सीट को बदलने ;नचहतंकंजपवदद्ध वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते है।

आवश्यक निर्देशः–

- ऑनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी काउंसिलिंग की वेबसाईट **https://ubter.admissions.nic.in** पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें।
- जीप– 2022 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु पात्र हैं किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं है एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता परीक्षा उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण नहीं हैं, काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
- ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी काउंसिलिंग की वेबसाईट **https://ubter.admissions.nic.in** में Login-ID/Password बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिये अभ्यर्थी को अनुक्रमांक, आवेदन पत्र संख्या एवं जन्मतिथि की जानकारी होनी अनिवार्य होगी।
- अभ्यर्थी वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना सम्पूर्ण विवरण (आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी, लिंग, उत्तराखण्ड डोमेसाईल इत्यादि) ध्यानपूर्वक चेक कर लें एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थान में कोई पाठ्यक्रम आवंटित हो, तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में प्रदेश में किसी भी निकटतम राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक में आवश्यक अभिलेख (Allotment Letter के अनुसार) एवं शिक्षण शुल्क रू0 8000/– के साथ उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं।
- जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लेते हैं एवं द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित होकर सीट अपग्रेड करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अभिलेख सत्यापन/प्रवेश की कार्यवाही हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की सीट स्वतः ही नये संस्थान में अपग्रेड हो जायेगी। अतः प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी उसी दशा में द्वितीय काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करें यदि उन्हें सीट अपग्रेड करनी हो। सीट अपग्रेड होने की स्थिति में पुरानी सीट से उसका प्रवेश रद्द हो जायेगा और अभ्यर्थी का पुरानी सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- संस्थान, ब्रांच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाईट पर अपना Allotment Letter प्रिंट कर सकता है। इसकी जानकारी अभ्यर्थी को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल नं0 पर SMS के माध्यम से भी दी जायेगी।
- अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित अंतिम तिथि तक समस्त आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र (जीप– 2022 की विवरण पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार) समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट साईज फोटो के साथ उपस्थित होंगे।
- किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखण्ड स्थाई निवास का प्रमाण पत्र न हो एवं वे पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण हों, ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध करायें।
- अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा और अगले चरण की काउंसिलिंग में उक्त सीट को रिक्ति के रूप में प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ऑन लाईन काउंसिलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गॉव में कहीं से भी काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।
- शासनादेश संख्या 348/XXIV(8)/10-26-10 दिनांक 19/01/2011 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0 647/XLI-1/12-26/10 दिनांक 20 जून, 2012 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में Tuition Fee Waiver Scheme अनिवार्य रूप से लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी के लिये आरक्षित की गयी है, जिनके अभिभावकों की किसी भी स्त्रोत से वार्षिक आय रू0 4.50 लाख से कम हो। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं उक्त शासनादेश वेबसाईट **https://ubter.admissions.nic.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी TFW उपश्रेणी में रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हे विकल्प भरते समय पाठ्यक्रम हेतु Normal एवं TFW दोनों प्रकार के विकल्पों को वरीयताक्रम में भरना अनिवार्य होगा।
- छात्र ऑन लाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समय–समय पर जारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए निरन्त वेबसाईट **https://ubter.admissions.nic.in** पर सम्पर्क करते रहें तथा कासंसिलिंग से एवं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए परिषद् के काल सेन्टर नं0 7456962568 एवं 7456962578 पर काउंसिलिंग/प्रवेश तिथियों में प्रातः 10 बजे से 05 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं अथवा काउंसिलिंग सम्बन्धी ईमेल jeep.ubte@gmail.com पर किसी भी समय सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाईट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश हेतु इच्छुक संस्थान/ब्रांच के विकल्प (Choice) भर सकते है एवं भरे गये विकल्पों का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते है। विकल्प भरते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवें कि विकल्पों का चयन करते समय किसी के दबाव में विकल्पों को न भरें, विकल्पों के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त होने पर ही विकल्प भरें। साथ ही Login-ID/Password को किसी के साथ साझा (Share) न करें। यदि आपके द्वारा Login-ID/Password को किसी के साथ साझा करने पर अभ्यर्थी के विकल्पों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। उपलब्ध विकल्पों की विस्तृत जानकारी वेबसाईट **https://ubter.admissions.nic.in** पर ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन से पूर्व उपलब्ध होगी।
- ग्रुप–A (Lateral Entry) के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व ग्रुप–A की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त आई0टी0आई0 उत्तीर्ण रैंकधारी यह सुनिश्चित कर लेवें कि अभ्यर्थी जिस ब्रांच में प्रवेश के इच्छुक है वे उससे सम्बन्धित आई0टी0आई0 ट्रेड में उत्तीर्ण है अथवा नहीं। इस सन्दर्भ में अभ्यर्थी काउंसिलिंग में विकल्प भरने से पूर्व जीप– 2022 विवरण पुस्तिका का अवलोकन अवश्य कर लेवें अन्यथा विषम ब्रांच में आवंटन होने के उपरान्त प्रवेश न मिलने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की ही होगी।
- शासनादेश सं0 1003/XLI-1/19-42/19 दिनांक 12 जुलाई, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 से 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन काउंसिलिंग के समय EWS (Economic Weaker Section) श्रेणी का चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संयुक्त सचिव